Order sheet [Contd]

case No M.J.C 23/2017

Signature of Parties or Order or proceeding with signature of Presiding Officer Pleaders where necessayry

24-01-18

अपीलार्थीगण द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता उप0। प्रत्यर्थी कमांक 01, 02, 03 पूर्व से एकपक्षीय। प्रत्यर्थी कमांक 04 एवं 05 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप0। अपीलार्थीगण के आवेदन अंतर्गत धारा—05 अविध विधान पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

अपीलार्थीगण की ओर से आदेश दिनांक 19.12.16 के संबंध में 08.02. 17 को यह अपील प्रस्तुत की गई है। आवेदन अंतर्गत धारा—05 अवधि विधान दिनांकित 08.02.17 में यह व्यक्त किया गया है कि दिनांक 19.12.16 से 07. 02.17 की आवधि में से 25.01.17 से 07.02.17 तक का समय प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा। दिनांक 19.12.16 के पश्चात 18.01.16 तक की अवधि के विलंब को क्षम्य किए जाने तथा अपील अवधि भीतर मान्य किए जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की ओर से आवेदन का लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया है। उनकी ओर से यह व्यक्त किया गया है कि विलंब के संबंध में कोई स्पष्ट कारण दर्शित नहीं किया गया है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख व्यवहार वाद क्रमांक 83ए / 15 सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम हन् मन्त सिंह एवं अन्य के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 19.12.16 को वादी अनुपरिश्रत था। विचारण न्यायालय के द्वारा साक्ष्य प्रस्तृति के अभाव एवं वादीगण की अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आदेश 17 नियम 03 जा0दी0 के तहत वाद निरस्त किया गया है। परंतु साक्ष्य के अभाव में वाद खारिजी के लिए निर्णय का लिखा जाना तथा निर्णय घोषित किया जाना एवं डिक्री तैयार किया जाना आवश्यक था जो की नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में यह मान्य किया जाना चाहिए कि वाद आदेश 09 के तहत ही निरस्त किया गया है। अर्थात वादी की अनुपरिथित के कारण निरस्त किया गया है। इस कारण उक्त आदेश दिनांक 19.12.16 की अपील न होकर आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 19.12.16 के लिए कोई विलंब होना प्रकट नहीं होता है। अतः अपील आदेश दिनांक 24.01.17 के आदेश के संबंध में की गई मान्य की जाती है तथा जिसके लिए कोई विलंब का होना प्रकट नहीं होता है क्योंकि अपील दिनांक 08.02.17 को प्रस्तुत की गई। तदनुसार निराकरण किया गया।

साथ ही साथ यह प्रकट है कि अपीलार्थी की ओर से नियमित अपील अंतर्गत धारा—96 एवं 104 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के साथ साथ विविध अपील अंतर्गत आदेश 43 नियम 01 सी.पी.सी. भी प्रस्तुत की है। परंतु जहां कि आदेश 24. 01.17 की अपील होनी थी और उक्त आदेश वाद की पुनः स्थापित किए जाने हेतु था तब उक्त आदेश की विविध सिविल अपील ही पेश होगी।

Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
इस प्रकरण में एम.जे.सी. में दर्ज किया गया है जो कि त्रुटि पूर्ण है अ	तः ग र
इस अपील को नियमित सिविल अपील मान्य न करते हुए विविध अपील मान्य कि गया । इस अपील को एम.जे.सी. से निरस्त करते हुए विविध सिविल अपील व	
पंजी में पंजबद्ध किया जावे तथा सी.आई.एस. में भी विधिवत् दर्ज किया जावे। विविध सिविल अपील पर उभयपक्ष के अंतिम तर्क सुने गए। प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 25.01.18 को पेश हो।	
(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश	
गोहद जिला भिण्ड	
(2) HEAD.	

